फर्द अहकाम
अज अदालत मुकाम जिला कलक्टर, भरतपुर
किस्म मुकदमा **धारा–6 ए गौवंश अधि.**

थानाधिकारी पुलिस थाना उच्चैन बनाम राउफ

मुकदमा सं0 03 सन 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
28.01.25	भार साधक पदाधिकारी, पुलिस थाना उच्चैन भरतपुर ने पत्रांक 141 दिनांक 25.01.2025 से प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन का निर्यात का विनियमन) धारा 5/8 एफ.आई.आर. सं0 96/2019 विरुद्ध अप्रार्थी राउफ पुत्र श्री मुन्ना जाति शेख मुसलमान उम्र 45 साल निवासी दडियाल थाना टांडा जिला रामपुर यू.पी. पेश किया गया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। गैर सायल की तलवी हेतु नोटिस जारी हों। जिला कलक्टर भरतपुर	
30.01.25	आज यह पत्रावली जिला आबकारी अधिकारी भरतपुर की ओर से एक प्रार्थना पत्र क्रमांक प.( )आब/अभि/वाहन नीलामी/24–25 /3851 दिनांक 30.01.2025 पर पेश हुई। जिला आबकारी अधिकारी भरतपुर ने उक्त पत्र में निवेदन किया है कि – " वाहन कन्टेनर संख्या UP 21 CN 5194 गोवंश का अवैध परिवहन करने के साथ अवैध मदिरा का परिवहन करने के कारण थानाधिकारी उच्चैन भरतपुर द्वारा उक्त वाहन को जब्तराज किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा वाहन स्वामी को वाहन छुडाने हेतु नोटिस एवं समाचार पत्रों में आम सूचना जारी की गयी। इसके बावजूद भी सम्बन्धित वाहन स्वामी द्वारा न तो वाहन को छुडाया गया और न ही इस पर आरोपित जुर्माना राशि आबकारी विभाग में जमाराज करायी गयी। तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी आबकारी आयुक्त राज0 उदयपुर द्वारा अपने आदेश 327 दिनांक 28.10.2020 को वाहन राजसात करने की आज्ञा दी गई है। राज0 आबकारी अधिनियम 1950 के अन्तर्गत दर्ज अभियोग में जब्त वाहन वाहन कन्टेनर संख्या UP 21 CN 5194 की दिनांक 08.01.2025 को नीलामी कराई जा चुकी है। जिसे क्रेता शुभम पंवार पुत्र श्री राकेश पंवार निवासी हाउसिंग बोर्ड, भगत सिहं की कोठी, जोधपुर राज0 द्वारा क्रय किया गया है।" जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अन्त में प्रार्थना की गई है कि राजस्थान गौवंश अधिनियम में वाहन सुपुर्दगी का अधिकार जिला कलक्टर भरतपुर का है अतः उक्त वाहन जिला आबकारी अधिकारी भरतपुर को सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु निवेदन किया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, जिला आबकारी अधिकारी भरतपुर के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। थानाधिकारी पुलिस थाना उच्चैन, भरतपुर द्वारा दिनांक 16.04.2019 को वाहन वाहन कन्टेनर संख्या UP 21 CN 5194 में गौवंश 10 सांडो ठूँस–ठूँस कर क्रूरता पूर्वक राजस्थान सीमा से उत्तर प्रदेश अवैध परिवहन में लिप्त पाये जाने पर एवं उक्त ट्रक में 20 लीटर हथकड देशी शराब रखने, गौवंश परिवहन करने का कोई	

परमिट नहीं होने के कारण एंव देशी शराब परिवहन का लाईसेंस नहीं होने के कारण मुकदमा नं0 96/2019 धारा 5/8 गौवंश अधिनियम एंव एक्साईज एक्ट की धारा 16/54 के अन्तर्गत दर्ज किया जाकर उक्त वाहन कन्टेनर संख्या UP 21 CN 5194 को जप्त किया गया है।

चूँकि जिला आबकारी अधिकारी भरतपुर द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत कार्यवाही करते हुये वाहन स्वामी को वाहन छुडाने हेतु नोटिस एवं समाचार पत्रों में आम सूचना जारी कराये जाने के उपरान्त वाहन स्वामी के उपस्थित नहीं होने पर, आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर द्वारा उनके आदेश 327 दिनांक 28.10.2020 को वाहन राजसात करने की आज्ञा दी गई है। राज0 आबकारी अधिनियम 1950 धारा 16/54 के अन्तर्गत दर्ज अभियोग में जब्त वाहन वाहन कन्टेनर संख्या UP 21 CN 5194 की दिनांक 08.01.2025 को नीलामी कराई जा चुकी है। इससे स्पष्ट है कि वाहन स्वामी को अपने जप्त वाहन कन्टेनर संख्या UP 21 CN 5194 को छुडवाने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

एफआईआर संख्या 96/2019 में दर्ज राजस्थान गौवंश अधिनियम के तहत गौवंशीय पशु का अवैध परिवहन करने के कारण धारा 5/8 के अन्तर्गत जप्त वाहन कन्टेनर संख्या UP 21 CN 5194 का निस्तारण इस न्यायालय द्वारा किया जाना है, यहाँ यह स्पष्ट है कि वाहन स्वामी द्वारा जप्त वाहन की जुर्माना राशि जमा नहीं कराये जाने के कारण वाहन को राजस्थान आबकारी आयुक्त उदयपुर द्वारा राजसात किया जा चुका है तथा उक्त वाहन की नीलामी भी हो चुकी है ऐसी स्थिति में गौवंश अधिनियम की धारा 5/8 के तहत उक्त जप्त वाहन को जिला आबकारी अधिकारी भरतपुर के निवेदनानुसार उनको सुपुर्दगी में दिया जाना उचित पाते हैं। भविष्य में गौवंशीय अधिनियम की धारा 5/8 के सन्दर्भ में न्यायालय हाजा में आपत्ति करने को वाहन स्वामी स्वतन्त्र है। अगर भविष्य में सक्षम न्यायालय की आज्ञा पर वाहन स्वामी द्वारा कोई उज्र पेश किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी भरतपुर तदनुसार पालना सुनिश्चित करेगें। अब इस प्रकरण में गैरसायल को तलब किया जाना उचित नहीं पाते हैं।

अतः भार साधक पदाधिकारी, पुलिस थाना सेवर भरतपुर को इस आशय की कैफियत जारी हो कि एफआईआर संख्या 96/2019 में गौवंश अधिनियम की धारा 5/8 के अन्तर्गत जप्त वाहन वाहन कन्टेनर संख्या UP 21 CN 5194 अन्य किसी प्रकरण में वांछित (Wanted) ना हो तो जिला आबकारी अधिकारी भरतपुर को सुपुर्दगी में दिया जावे। अगर भविष्य में सक्षम न्यायालय की आज्ञा पर वाहन स्वामी द्वारा कोई उज्र पेश किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी भरतपुर तदनुसार पालना सुनिश्चित करेगें। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवारी दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
भरतपुर